THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI SUBRAMANIAN SWAMY): (a) The Minister of Law and Justice had observed that the CBI oint Directors intervention in the Delhi High Court was uncafleld for.

(b) and (c) Since the matter is sub-judice no detail can be furnished.

(d) No, Sir.

(e) The Government did not oppose the FIR by CBI.

बाढ़ और अकाल के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

908. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों को बाढ़ और अकाल के लिए अब तक राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं तथा इस प्रकार की सहायता का मानदंड क्या है ; और

(ख) क्या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बैंक भी कोई सहायता या ऋण प्रदान करता है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1990-95 के लिए प्राकृतिक आपदा राहत व्यय का वित्त पोषण नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट की सिफ़ारिशों द्वारा शासित होता हैं। तदनुसार राहत व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष स्थापित किया जाना है जिसमें सभी राज्यों के लिए प्रतिवर्ष 804 करोड़ रु० की राशि होगी । इस कोष में केन्द्र 75% या 603 करोड़ रु० प्रतिवर्ष का अंशदान करेगा शेष 25% का अंशदान राज्य सरकारों को करना हैं । सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है। चालू वर्ष में अब तक केन्द्र के अंशदान के रूप में राज्य सरकारों को कुल 410.09 करोड़ रु० की राशि दी गई है । उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने हर बार भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता देने के लिए 1984 में बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देशन जारी कर दिये थे । इन मार्गनिर्देशनों में अन्य बातों के साथ-साथ (1) अल्पावधि उत्पादन ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलना (2) ऋण की किस्तों की वर्तमान शर्तों का पुन: निर्धारण/मुलतवी करना और (3) अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार फ़सल/निवेश ऋण आदि की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। किसी प्रभावित व्यक्ति को उसके व्यापार चलाने/कार्यकलाप करने के लिए बैंक द्वारा दिए गये नये अग्रिमों या अन्य किसी रियायत के रूप में दी गई सहायता उस क्षेत्र में उनके अग्रिम का भाग बन जाता हैं और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अलग से रिपोर्ट करने की पद्धति निर्धारित नहीं की है ।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	नौवें वित्त आयोग द्वारा आंबंटित कुल राशि	आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान 31-12-90 तक दी गई राशि	
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश . .	86.00	64.50	64.5000 +61.1564*

* इसमें चक्रवात राहत व्यय को पूरा करने के लिए 1990-91 में अग्रिम रूप से दिया गया केन्द्र का अंशदान भी सम्मिलित है । इसको 1991-92 से 1994-95 तक के दौरान राज्य के कोष में केन्द्र के अंशदान के रूप में चार बराबर-बराबर किस्तों में समायोजित किया जाएगा ।

1	2	3	4
2. अरूणाचल प्रदेश . .	2.00	1.50	1.5000
3. असम . . .	30.00	22.50	11.2500
4. बिहार . . .	35.00	26.25	13.1250
5. गोवा . . .	1.00	0.75	0.1875
6. गुजरात . .	85.00	63.75	31.8750
7. हरियाणा . .	17.00	12.75	6.3750
8. हिमाचल प्रदेश . .	18.00	13.50	6.7500
9. जम्मू व कश्मीर . .	12.00	9.00	2.2500
10. कर्नाटक . . .	27.00	20.25	15.1875
11. केरल . . .	31.00	23.25	11.6250
12. मध्य प्रदेश . .	37.00	27.75	20.8125
13. महाराष्ट्र . .	44.00	33.00	24.7500
14. मणिपुर . .	1.00	0.75	0.7500
15. मेघालय . .	2.00	1.50	0.3750
16. मिजोरम . .	1.00	0.75	0.1875
17. नागालैंड . .	1.00	0.75	0.1875
18. उड़ीसा . . .	47.00	35.25	35.2500
19. पंजाब . . .	28.00	21.00	5.2500
20. राजस्थान . .	124.00	93.00	23.2500
21. सिक्किम . .	3.00	2.25	1.6875
22. तमिलनाड . .	39.00	29.25	21.9375
23. त्रिपुरा . . .	3.00	2.25	1.1250
24. उत्तर प्रदेश . .	90.00	67.50	33.7500
25. पश्चिम बंगाल . .	40.00	30.00	15.0000
कुल जोड़ . .	804.00	603.00	410.0939